

# एतिकाफ के अहकाम

[ हिन्दी ]

## أحكام الاعتكاف

[ اللغة الهندية ]

लेख

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 -2008

islamhouse.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله الذي أكرم علينا بشهر رمضان، والصلاة والسلام على خير من صام  
واعتكف وقام، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه على الدوام.

इस समय, जबकि दुनिया भर के मुसलमान शुभ रमज़ान की छत्र-छाया में जीवन यापन कर रहे हैं और इस मुबारक महीने के अन्तिम दहे में, बहुत से लोग मस्जिदों में एतिकाफ की सुन्नत को ज़िन्दा करने की नीयत रखते होंगे। एतिकाफ के कुछ अहकाम, सन्नतें और आदाब हैं जिनसे अवगत होना एक मोतकिफ (एतिकाफ करने वाले) के लिए आवश्यक है। इस लिए अपने मुसलमान भाईयों की शुभ-चिन्ता की दृष्टि से एतिकाफ से संबंधित अहकाम पर संछिप्त प्रकाश डालना उचित समझा गया।

## एतिकाफ का अर्थ :

किसी मुसलमान मर्द या औरत का अल्लाह तआला की इबादत के लिए, एक विशिष्ट ढंग पर किसी मस्जिद में ठहरे रहने (जम जाने) का नाम एतिकाफ है। ताकि आदमी, लोगों के साथ मेल-जोल और दुनिया के कामों से अलग-थलग और दूर हो कर, एकान्त में अल्लाह की उपासना व आराधना; कियामुल्लैल (रात को नमाज़ पढ़ने), ज़िक्र और कुरआन की तिलावत...आदि के लिए अपने आप को समर्पित कर दे।

नफस के प्रशिक्षण, ख्वाहिशात से लड़ने, दुनिया के झमेले और अधिक खान-पान से दूरी बनाने, अपने आप को बदलने और बाहुल्य रूप से अल्लाह की उपासना करने का एक महान अवसर है।

## एतिकाफ की वैधता :

एतिकाफ अल्लाह की किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और उम्मत के इज़्माअ् (सर्व सहमति) के द्वारा वैध (धार्मिक कार्य) है।

1. **कुरआन** के अन्दर अल्लाह तआला ने इसकी ओर अपने इस फर्मान के द्वारा संकेत किया है:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]

“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो।”  
(सूरतुल बकरा 2: 9-10)

उपर्युक्त आयत में एतिकाफ को मस्जिद से संबंधित करना जो कि नेकियों के लिए विशिष्ट हैं, और उसके कारण जाईज़ संभोग को छोड़ देने का आदेश देना इस बात का प्रमाण है कि वह धार्मिक और नेकी का कार्य है।

**2. हदीस (सुब्जत)** से इसका प्रमाण सहीहैन में आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा की यह रिवायत है, वह कहती हैं:

“नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का एतिकाफ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको मृत्यु दे दी, फिर आपकी पत्नियों ने आपके बाद एतिकाफ किया।” (बुखारी व मुस्लिम)

तथा सहीह मुस्लिम में अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के पहले दस दिनों का एतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के मध्य दस दिनों का एतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“मैं ने क़द्र वाली रात को ढूँढ़ने के लिए रमज़ान के पहले दहे का एतिकाफ किया, फिर मैं ने मध्य दहे का एतिकाफ किया, फिर मेरे पास जिब्रील आए और मुझ से कहा गया कि: यह अन्तिम दहे में है, सो तुम में से जो व्यक्ति एतिकाफ करना चाहे वह एतिकाफ करे।” चुनाँचे लोगों ने आप के साथ एतिकाफ किया। (सहीह मुस्लिम)

**3. इज़्माअ:** इब्नुल मुन्ज़िर, इब्ने हज़म, नववी, इब्ने कुदामा और शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिय्या... आदि ने एतिकाफ की वैधता पर इज़्माअ का उल्लेख किया है।

इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं: मैं किसी भी आलिम का इस बारे में मतभेद नहीं जानता हूँ कि एतिकाफ मसनून है।

इस प्रकार एतिकाफ कुरआन, सुन्नत और इज़्माअ के द्वारा साबित है।

### **एतिकाफ की फज़ीलत :**

एतिकाफ की फज़ीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई शुद्ध हदीस प्रमाणित नहीं है, जिस में यह उल्लेख किया गया हो कि एतिकाफ करने वाले को इस प्रकार का अज़्र व सवाब मिले गा। अबू दाऊद रहिमहुल्लाह कहते हैं : “मैं ने इमाम अहमद से कहा: क्या एतिकाफ की फज़ीलत में आप को कोई चीज़ (हदीस) जानते हैं? उन्होंने ने कहा: नहीं, किन्तु कुछ ज़ईफ हदीसे हैं।”

जैसाकि अबुदरदा की हदीस है कि: “जिस ने एक रात एतिकाफ किया उस के लिए एक उम्रा के बराबर सवाब है, और जिस ने दो रात एतिकाफ किया उस के लिए दो उम्रा के बराबर अज़्र व सवाब मिले गा ...”

## एतिकाफ का हुक्म :

एतिकाफ, पुरुष एवं स्त्री, हर एक के लिए सुन्नत है। इसके मसनून होने पर सब का इज्माअ (सर्व सहमति) है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबा को इस का हुक्म नहीं दिया। बल्कि आप ने उन से कहा : “तुम में से जो एतिकाफ करना चाहे वह एतिकाफ करे।” (सहीह बुखारी व मुस्लिम)

किन्तु यदि कोई आदमी एतिकाफ की नज़्र (मन्नत) मान लेता है तो उसके ऊपर एतिकाफ करना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि सहीह बुखारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि : “मैं ने जाहिलियत के समय काल में मस्जिदे हराम में एक रात” तथा एक दूसरी रिवायत के शब्द हैं कि “एक दिन एतिकाफ करने की नज़्र मानी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “तुम अपनी नज़्र पूरी करो।”

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है : “जिस ने अल्लाह तआला की इताअत करने की नज़्र मानी है, वह अपनी नज़्र पूरी करे ...” (सहीह बुखारी)

## एतिकाफ का समय :

एतिकाफ करना हर समय, चाहे रमज़ान का महीना हो या कोई अन्य महीना, मसनून है। अल्बत्ता रमज़ान के महीने में सब से अफज़ल और सुन्नते मुअक्किदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर साल पाबन्दी के साथ रमज़ान में एतिकाफ करते थे, और एक साल आप रमज़ान में एतिकाफ न कर सके तो शव्वाल के महीने में उसकी कज़ा की। तथा रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में एतिकाफ करना सब से उत्तम और महत्व पूर्ण है, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पता चला कि लैलतुल-क़द्र रमज़ान के अन्तिम दस दिनों की रातों में है, तो आप निरंतर रमज़ान के अन्तिम दस दिनों में एतिकाफ करने लगे।

## एतिकाफ की अवधि :

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एतिकाफ की न्यूनतम मात्रा की कहीं कोई सीमा निर्धारण प्रमाणित नहीं है। इसी लिए कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि आदमी थोड़ी देर के लिए मस्जिद में ठहर जाता है और एतिकाफ की नीयत कर लेता है, तो उसका एतिकाफ हो गया; क्योंकि अरबी भाषा में एतिकाफ का यही अर्थ है और शरीअत में इस को परिसीमित नहीं किया गया है।

किन्तु इस प्रकार थोड़ी देर मस्जिद में ठहरने या नमाज़ की प्रतीक्षा में बैठने को एतिकाफ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस का कोई तर्क नहीं है, तथा एतिकाफ के कुछ अहमाक, शर्तें और आदाब हैं।

सहीह (शुद्ध और वास्तविक) बात यह है कि कम से कम एतिकाफ की मात्रा (अवधि) एक रात या एक दिन है। इस की पुष्टि और ताईद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से होती है, जिस में है कि उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा: **“मैं ने जाहिलियत के समय काल में मस्जिदे हराम में एक रात”** तथा एक दूसरी रिवायत के शब्द हैं कि **“एक दिन एतिकाफ करने की नज़्र मानी थी।”** तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: **“तुम अपनी नज़्र पूरी करो।”** (बुखारी व मुस्लिम)

जहाँ तक एतिकाफ की अधिकतम अवधि या मात्रा का संबंध है तो इस की कोई सीमा नहीं है।

### **एतिकाफ का स्थान:**

एतिकाफ का स्थान वो मस्जिदें हैं जिन में जमाअत के साथ नमाज़ होती है, और अफज़ल यह है कि ऐसी मस्जिद में एतिकाफ किया जाए जिस में जुमा की नमाज़ होती है, ताकि उसे जुमा की नमाज़ के लिए बाहर न निकलना पड़े। मस्जिद के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर एतिकाफ मान्य नहीं है। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फर्मान है:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: १८७]

**“और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो।”**  
(सूरतुल बकरा : 9८७)

इस पर उलमा का इत्तिफाक (सर्व सहमति) है। कुर्तुबी कहते हैं : उलमा का इस बात पर इज़्माअु है कि एतिकाफ केवल मस्जिद में हो सकता है।

तथा मर्दों का एतिकाफ केवल जमाअत वाली मस्जिद में ही सहीह होगा; ताकि उसकी जमाअत न छूटने पाए। किन्तु यदि आदमी माज़ूर है, जिस पर जमाअत अनिवार्य नहीं है, तो वह किसी भी मस्जिद में एतिकाफ कर सकता है।

इसी प्रकार औरतों के लिए भी मस्जिद की शर्त ज़रूरी है, किन्तु उनके लिए जमाअत वाली मस्जिद का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वो किसी भी मस्जिद में एतिकाफ कर सकती हैं। अल्बत्ता उनके लिए अपने घरों में एतिकाफ करना जाईज़ नहीं है; क्योंकि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के बाद मस्जिद में एतिकाफ किया। यदि घरों में एतिकाफ करना जाईज़ होता तो वो अपने घरों में एतिकाफ करतीं; क्योंकि उनके घर उनके लिए बेहतर हैं।

### **एतिकाफ गृह में प्रवेश :**

एतिकाफ करने वाला कब से मस्जिद में बैठे गा, इस संबंध में दो कथन हैं। जम्हूर उलमा का कहना है कि जो आदमी रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का एतिकाफ करना चाहता है, वह बीस रमज़ान के दिन सूरज डूबने (मग़रिब की नमाज़) से पहले

एतिकाफ में बैठे गा; ताकि वह वास्तव में रमज़ान के अन्तिम दहे का पूर्ण रूप से एतिकाफ करने वाला हो। क्योंकि जो आदमी सूरज डूबने के बाद, या मग़रिब के बाद, या इशा के बाद, या फज़्र के बाद एतिकाफ में बैठे गा, उस के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अन्तिम दहे का सम्पूर्ण एतिकाफ किया है। इस लिए कि अन्तिम दहे का आरम्भ बीस रमज़ान के दिन सूरख डूबने से ही हो जाता है।

दूसरा कथन यह है कि मोतकिफ २१ रमज़ान की फज़्र की नमाज़ के बाद एतिकाफ गृह में प्रवेश करे गा। इस कथन का तर्क आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा की यह हदीस है कि : “जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्तिम दहे के एतिकाफ का इरादा करते तो फज़्र की नमाज़ पढ़ कर अपने एतिकाफ गृह में प्रवेश करते थे।”

किन्तु यहाँ पर एक बात विचार योग्य है कि फज़्र की नमाज़ के बाद एतिकाफ में बैठने से इक्कीसवीं रात का एतिकाफ छूट जाए गा, और जिस से पूरी एक रात का एतिकाफ छूट जाए उसे पूरे दहे का एतिकाफ करने वाला नहीं कहा जा सकता।

जहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फज़्र की नमाज़ के बाद एतिकाफ गृह में प्रवेश करने का संबंध है तो उलमा ने इसका उत्तर यह दिया है कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीस रमज़ान को सूरज डूबने से पहले ही मस्जिद में प्रवेश कर जाते थे, और रात को मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ते थे, किन्तु अपने एतिकाफ गृह अर्थात् वह विशिष्ट खेमा जो आप के लिए मस्जिद में लगाया जाता था, उसमें फज़्र के बाद लोगों को फज़्र की नमाज़ पढ़ाने के बाद प्रवेश करते थे।

इस प्रकार आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से पैदा होने वाला इश्काल समाप्त हो जाता है, और यह साबित हो जाता है कि जम्हूर उलमा का कथन ही उचित और स्पष्ट है।

## **एतिकाफ से निकलने का समय :**

जम्हूर उलमा के निकट मोतकिफ के लिए मुसूतहब यह है कि वह मस्जिद से ईद की नमाज़ के लिए ही निकले, लेकिन यदि वह रमज़ान के अन्तिम दिन सूरज डूबने के बाद ही निकल जाए तो उसका एतिकाफ पूरा हो गया और इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है।

## **एतिकाफ की शर्तें :**

एतिकाफ के सही होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :

१. मुसलमान होना : क्योंकि कुफ़्र की अवस्था में काफिर का कोई अमल स्वीकृत नहीं है।
२. बुद्धि (समझ-बूझ) वाला होना : क्योंकि इस के लिए नीयत ज़रूरी है, और पागल तथा समझ-बूझ न रखने वाला नीयत को नहीं समझता है।

३. मस्जिद में होना : क्योंकि मस्जिद के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर एतिकाफ मान्य नहीं है।
४. नीयत का होना : क्योंकि एतिकाफ इबादत है और इबादत के लिए नीयत का होना अनिवार्य है।
५. जनाबत, माहवारी और प्रसव-रक्त से पवित्र होना: क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मस्जिद में ठहरना जाइज़ नहीं है।
६. पत्नी के लिए पति की अनुमति का होना: जिस प्रकार पती की अनुमति के बिना पत्नी नफ़ली रोज़ा नहीं रख सकती, उसी तरह उसकी अनुमति के बिना एतिकाफ भी नहीं कर सकती।
७. गुलाम के लिए अपने मालिक की ओर से अनुमति का होना।

☞ कुछ लोगों ने एतिकाफ के लिए रोज़े की भी शर्त लगाई है, किन्तु सहीह और उचित बात यह है कि बिना रोज़े के भी एतिकाफ सहीह है। क्योंकि रोज़े की शर्त लगाने की कोई सहीह और स्पष्ट दलील नहीं है।

### **मस्जिद से बाहर निकलने का हुक्म :**

मोतकिफ के लिए आवश्यक है कि वह मस्जिद में ठहरा रहे और बिना किसी शरई उज़्र या आवश्यकता के मस्जिद से बाहर न निकले। ऐतिकाफ करने वाले के मस्जिद से बाहर निकलने की हालतों को फुक़हा (धर्म-शास्त्र के ज्ञानियों) ने तीन भागों में बाँटा है :

**पहला :** जाइज़, किसी ऐसी चीज़ के लिए बाहर निकलना जो शरई (धार्मिक) या स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो, उदाहरणतः जुमा की नमाज़ के लिए निकलना, तथा खाने और पीने के लिए निकलना यदि कोई उसके पास खाना पानी लाने वाला न हो, वाजिब वुजू और स्नान के लिए, पेशाब और पाखाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर निकलना।

**दूसरा :** किसी ऐसी नेकी के काम के लिए निकलना जो उस पर वाजिब नहीं है जैसे कि बीमार की अयादत करना, जनाज़े में जाना, यदि उसने ऐतिकाफ के आरम्भ में इसकी शर्त लगाई थी तो जाइज़ है, अन्यथा नहीं।

**तीसरा :** किसी ऐसी चीज़ के लिए निकलना जो ऐतिकाफ के विपरीत है जैसे कि क्रय-विक्रय के लिए, अपनी पत्नी से सम्भोग करने के लिए और इसी के समान अन्य चीज़ों के लिए निकलना, तो यह जाइज़ नहीं है चाहे उसकी शर्त लगाई हो या न लगाई हो।

### **एतिकाफ को बातिल कर देने वाली चीज़ें :**

एतिकाफ निम्नलिखित बातों में से किसी भी एक के द्वारा बातिल हो जाता है :

१. बिना आवश्यकता के मस्जिद से बाहर निकलना।
२. मुर्तद हो जाना अर्थात् इस्लाम धर्म से पलट जाना। मुर्तद धर्म से बाहर निकल जाता है और काफिरों की गणना में आ जाता है।
३. औरतों के माहवारी और प्रसव-रक्त का आना।
४. संभोग करना।
५. शह्वत के साथ मुबाशरत और चुंबन करना।
६. मुबाशरत, चुंबन, हस्तमैथुन और बार-बार हराम निगाह के द्वारा वीर्य पात करना।
७. नशा पैदा करने वाली चीज़ के खाने पीने से बुद्धि का चला जाना, दीर्घ समय तक पागलपन और बेहोशी का तारी होना।
८. एतिकाफ की नीयत को समाप्त कर देना। यदि आदमी ने एतिकाफ की नीयत समाप्त कर दी तो उस का एतिकाफ बातिल हो जाए गा, चाहे वह इसके बाद मस्जिद में ही क्यों न ठहरे रहें।
९. मृत्यु हो जाना। क्योंकि आदमी के मरने से अमल का सिलसिला बन्द हो जाता है।

### **एतिकाफ की क़ज़ा :**

चूँकि एतिकाफ मसूनून है, इसलिए मोतकिफ को अधिकार है कि वह जब चाहे एतिकाफ को समाप्त (बन्द) कर सकता है, चाहे उसके पास कोई उज़्र हो या न हो। और ऐसा करने से उस पर कोई गुनाह नहीं है और न ही उसके ऊपर बाद में उस की क़ज़ा करना वाजिब है। अल्बत्ता यदि उसने किसी कारण एतिकाफ को बन्द कर दिया था, तो उसके लिए क़ज़ा करना मुसतहब है। क्योंकि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बार रमज़ान में एतिकाफ को बन्द कर दिया था, तो शब्वाल महीने में उसकी क़ज़ा की थी।

**किन्तु यदि** उसका एतिकाफ नज़्र का था, तो ऐसी अवस्था में एतिकाफ के वाजिब होने के कारण उसकी क़ज़ा करना अनिवार्य है।

### **एतिकाफ का उद्देश्य :**

एतिकाफ का रत्न और सार “सृष्टि से कट कर सृष्टा की आराधना, उपासना, स्मरण और तपस्या में व्यस्त होना” है। अतः ऐतिकाफ करने वाले को अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार, दुआ, इस्तिग़फ़ार (गुनाहों की क्षमा यमचना), सच्ची तौबा, कुरआन की तिलावत और उसमें गौर व फ़िक्र करने, समय पर फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबन्दी, अधिक



से अधिक नवाफिल पढ़ने, तथा अन्य सुकर्म और अल्लाह की निकटता के कामों में व्यस्त रहना चाहिए।

### **एतिकाफ के लाभ :**

एतिकाफ करने वाला अपने बाल-बच्चों से अलग-थलग होकर, अपने काम काज को त्याग कर एकान्त में अल्लाह की उपासन करते हुए मस्जिद में बैठा रहता है, यदि इस का कोई लाभ और प्रतिफल न हो तो सब कुछ निरर्थक है। चुनाँचे एतिकाफ के बहुत महान लाभ और प्रतिफल हैं, उन में से कुछेक का उल्लेख किया जा रहा है :

१. इख्लास का अनुभव होता है, इख्लास पर नफ्स का प्रशिक्षण होता है और इख्लास की आदत पड़ जाती है; क्योंकि एतिकाफ करने वाला एकान्त में होता है उसे अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं देखता है। तथा वह एतिकाफ की अवस्था में जो भी सुकर्म करता वह इख्लास का प्रतीक होता है।
२. एतिकाफ में उसे एहसान का भी अनुभव होता जो कि इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद है अर्थात् आदमी अल्लाह की इबादत इस प्रकार करे कि मानो वह अल्लाह को देख रहा है, यदि ऐसा न हो सके तो निःसन्देह अल्लाह उसे देख ही रहा है। एतिकाफ में आदमी को अपने आप को इस तरह की कैफियत पर ढालने का उचित अवसर मिलता है।
३. फुजूल बात-चीत, खान-पान, नींद और मेल-जोल से दूर रहने पर प्रशिक्षण होता है और नफ्स को इसका आदी बनाने पर अभ्यास होता है।
४. अल्लाह की उपासना और विशिष्ट रूप से कियामुल्लैल, कुरआन की तिलावत, इस्तिगफार और अल्लाह से विन्ती करने पर प्रशिक्षण होता है।
५. अल्लाह तआला से संबंध सुदृढ़ होता है और आदमी अल्लाह का सहारा ढूँढ़ता है।
६. एतिकाफ के द्वारा आदमी अपने आप को क़ब्र की तन्हाई के लिए तैयार करता है जहाँ अल्लाह के अतिरिक्त उस का कोई साथी नहीं होगा।
७. एतिकाफ में आदमी को अपने नफ्स का मुहासबा (जाँच-पड़ताल) करने का अवसर मिलता है। वह अपने दीन और दुनिया के मामले पर गौर व फिक्र करता है और अपने अन्दर जो कमी पाता है विशेषकर इबादत के संबंध में, एतिकाफ में उसकी छति-पूर्ति करने का प्रयास करता है।
८. एतिकाफ जैसी महान सुन्नत को जीवित करने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है जोकि इस ज़माने में लग-भग मुर्दा हो चुकी है।
९. एतिकाफ से गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी समाप्त या कम होजाती है।

90. सब्र (धैर्य), नफस से जिहाद और संघर्ष करने, शैतान और ख्वाहिशात की पैरवी न करने पर प्रशिक्षण और अभ्यास होता है।

99. एतिकाफ का एक महान लाभ यह है कि आदमी लैलतुल क़द्र को निश्चित रूप से पा लेता है। स्ययं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी इसी उद्देश्य से एतिकाफ करते थे कि लैलतुल क़द्र को तलाश करें।

**इस्लामी भाईयो!** यदि आप अन्तिम दहे का सम्पूर्ण एतिकाफ नहीं कर सकते, तो हो सके तो उसकी पाँच ताक़ रातों ही का एतिकाफ करें, या कम से कम एक रात ही का एतिकाफ करें। किन्तु इस महान इबादत को इस महान महीने में हाथ से न जाने दें। और अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमारे सुक़र्म को स्वीकार करे, तथा एतिकाफ करने और लैलतुल क़द्र को तलाश करने और उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ प्रदान करे।

**والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين.**

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)\*

[\\*atazia75@gmail.com](mailto:atazia75@gmail.com)